



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14717

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 45364/2025

संतोष कुमार

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता: अजय कुमार यादव, सचिन कुमार जायसवाल, विशाल कुमार जायसवाल

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. नए मामलों की सूची को संशोधित किया गया। याची की ओर से कोई उपस्थित नहीं है, यद्यपि राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विपक्षी का नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि विपक्षी इस आदेश से व्यथित महसूस करता है/करती है, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत प्रत्यर्थी संख्या 2- तहसीलदार, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर को यह निर्देश देने के लिए है कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 35 के अंतर्गत ग्राम तिघरा मुजक्किरपुर अंगुली, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर से संबंधित वट संख्या T-201914360107435/2019 को तय करें, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष वर्ष 2022 से लंबित है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों को समयबद्ध अवधि के भीतर तय किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

"(7). तहसीलदार नामांतरण के अविवादित मामले को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और नामांतरण के विवादित मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।"

5. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त के बावजूद आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को प्रत्यर्थी संख्या 2- तहसीलदार, तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे उपरोक्त वाद को शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर तय करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"